न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 14

उनवान

नीरज पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

प्रकरण संख्या : 05 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 15

उनवान

पुष्पदयाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

प्रकरण संख्या : 06 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2024 / 177

उनवान

मुकट पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट

प्रकरण संख्या : 24 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 73

उनवान

मुकट बिहारी पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट

प्रकरण संख्या : 26 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 75

उनवान

नीरज पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट

प्रकरण संख्या : 25 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 74

उनवान

पुष्पदयाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ड)

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 28.10.2024 व आदेश दिनांक 28.03.2025
न्यायालय तहसीलदार, कनवास जिला कोटा

निर्णय

दिनांक : 5/12/25

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त सभी अपीले की प्रकृति एक ही होने से सभी अपीलो का संयुक्त निर्णय पारित किया जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सभी अपीलो का संयुक्त निर्णय किया जा रहा है। अपील में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हलका बालूहेडा की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार कनवास द्वारा ग्राम उमरहेडी में स्थित स्व0 प्रभुलाल पुत्र रामचन्द्र धाकड के खाते की भूमि सिलिंग एक्ट की कार्यवाही के अन्तर्गत राज्यहित में अधिग्रहित कि हुई सीलिंग सिवायचक भूमि होना बताकर अपीलान्ट प्रार्थी को उक्त भूमि अतिक्रमी होना बताकर दिनांक 21.3.2025 को जवाब नोटिस प्रस्तुत करने हेतु तलब कर अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने बाबत् राजस्व रेकार्ड एवं रिपोर्ट की नकले मागी जाने पर अपीलान्ट कोई नकल एवं दस्तावेज भी प्रदान न कर अपीलान्ट द्वारा उक्त संबध मे जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान न कर केवल 07 दिन बाद ही उक्त प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कोई भी सुनवाई की तारीख नियत न कर अपीलान्ट के अभिभाषक

अति. जिला कलक्टर
कोटा

को वादग्रस्त भूमि के संबध में प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग न्यायालय में कार्यवाही जैरकार होते हुए भी नोटिस के मुताबिक ही वादग्रस्त भूमि को चारागाह एवं सार्वजनिक उपयोग की कृषि भूमि मानते हुए पूर्ण गलत रूप से सीलिंग सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत लगान के पचास गुणा एवं शास्ती से दण्डित कर फसल कुर्की एवं जप्ती एवं निलामी का भी एकपक्षीय आदेश दिनांक 28.3.2025 को पारित कर दिया गया है जिसकी अपीलांट को नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को संक्षम राजस्व न्यायालयो द्वारा सीलिंग सीमा निर्धारण संबधी सम्पूर्ण कार्यवाही अंतिम रूप से समाप्त होने से पूर्व ही पूर्णतः गलत रूप से वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रभुलाल पुत्र रामचन्द्र धाकड निवासी उमरहेडी की मृत्यु के करीब 8 वर्ष बाद उक्त कानूनी रूप से उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अबेट हो जाने पर सीलिंग सिवायचक दर्ज होना बताकर प्रथम बार सन् 2024 मे अपीलांट को उक्त भूमि के कुछ आंशिक भूभाग पर अतिक्रमी होना निर्णित्त कर उक्त आर्बिटरेरी निर्णय दिया गया है जबकि वाद ग्रस्त आराजी राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 13.3.2024 को पारित निर्णय मुताबिक वादग्रस्त भूमि के संबध में ओल्ड सीलिंग एक्ट की कार्यवाही में पूर्व पारित सभी निर्णय दिनांक 14.12.1971 दिनांक26.02.1975 तथा दिनांक12.09.1975 निरस्त हो जाने के बाद धारा 144 जा0दी के मुताबिक कुल वादग्रस्त आराजी अधिग्रहण करने बाबत् कोई अंतिम निर्णय पारित नही हुआ है। उक्त भूमि मूर्ति मंदिर ठाकुर जी ग्राम उमरहेडी तथा मूर्ति मंदिर राधाकृष्ण भगवान ग्राम चनावता की व्यवस्था एवं सेवा पूजा हेतु कई वर्ष से ही शाश्वत नाबालिंग मूर्ति मंदिर को समर्पित की हुई है तथा मंदिर को समर्पित की हुई भूमिया सीलिंग कार्यवाही के अधिग्रहित की जाने योग्य नही है। न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0डी0 1994 पृष्ठ 501 पर पारित निर्णय मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय को उक्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही था।

3. उक्त भूमियो को सीलिंग सिवायचक से खारिज कर वापस पूर्व खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु माननीय उपखण्ड अधिकारी कनवास के न्यायालय में खातेदार चतुर्भुज पुत्र प्रभुलाल धाकड निवासी ग्राम उमरहेडी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 144 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में जेरकार है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को भी था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी करने व उसके बाद नकल प्राप्त होने पर हुई।

4. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2025 व निर्णय दिनांक 28.10.2024 को निरस्त कर उक्त प्रकरण में अपीलांट को वादग्रस्त आराजी को खातेदार के खाते से सीलिंग एक्ट के प्रावधान मुताबिक पारित किये गये निर्णय मुताबिक सिलिंग सिवायचक भूमि अंकित किये जाने संबध सम्पूर्ण आदेश एवं राजस्व रेकार्ड की नकले दिलवाई जाकर उक्त कृषि भूमि के संबध में अपीलांट को मूर्ति मंदिर ग्राम चनावता व उमरहेडी को सेवा पूजा एवं प्रबंध से संबधित मूर्ति मंदिर को दान की हुई कृषि भूमि को सिलिंग कार्यवाही से मुक्त होने बाबत साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सीलिंग कार्यवाही साक्षम प्राधिकारी अधिकारी सीलिंग न्यायालय द्वारा पारित निर्णीत किये जाने पर्यन्त स्थगित रखे जाने हेतु उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित कर प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमो में अंकित कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2025 व निर्णय दिनांक 28.10.2024 को निरस्त कर उक्त प्रकरण में अपीलांट को वादग्रस्त आराजी को खातेदार के खाते से सीलिंग एक्ट के प्रावधान मुताबिक पारित किये गये निर्णय मुताबिक सिलिंग सिवायचक भूमि अंकित किये जाने संबध सम्पूर्ण आदेश एवं राजस्व रेकार्ड की नकले दिलवाई जाकर उक्त कृषि भूमि के संबध में अपीलांट को मूर्ति मंदिर ग्राम चनावता व उमरहेडी को सेवा पूजा एवं प्रबंध से संबधित मूर्ति मंदिर को दान की हुई कृषि भूमि को सिलिंग कार्यवाही से मुक्त होने बाबत साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सीलिंग कार्यवाही साक्षम प्राधिकारी अधिकारी सीलिंग

अति. जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय द्वारा पारित निर्णीत किये जाने पर्यन्त स्थगित रखे जाने हेतु उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित कर प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन है किया कि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा **सिवायचक** भूमि पर अपीलांट का विधि विरूद्व कब्जा किया हुआ है। तथा अपीलांट को पूर्व उक्त आराजी पर बेदखल किया गया था। अतः अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है। अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर सिलिंग कार्यवाही होना व न्यायालय के आदेश से पुनः सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाकर विवादग्रस्त आराजी पुनः खाते दर्ज होना अपनी बहस व अपील मेमो मे जाहिर किया है। वकील अपीलांट द्वारा यह भी जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिलिंग कार्यवाहीयो के दौरान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही कि जाकर विवादग्रस्त आराजी पर धारा 91 के तहत कार्यवाही की अपीलांट को लगान का 50 गुना राशि 2550 /–रू0 शास्ती से आरोपित की जाती है तथा अतिक्रमी आराजी फसल गेहू,सरसो को कुर्क कर निलाम किये जाने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में वकील अपीलांट की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात वकील अपीलांट के कथनानुसार न्यायालय का यह मानना है कि चूकि विवादित आरीज सीलिंग प्रभावित है माननीय उच्च न्यायालय जयपुरा राजस्थान द्वारा निर्णय दिनांक 13.3.2024 को निर्णय पारित कर ओल्ड सीलिंग कार्यवाही में पारित सभी निर्णय दिनांक 14.12.1971 दिनांक 26.02.1975 तथा 12.09.1975 निरस्त हो गये है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई व विवादित आराजी के संबध में पारित व विचाराधीन निर्णयो को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कनवास को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित आराजीयात् सें संबधित सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व दस्तावेज की जॉच एवं सुनवाई का अवसर देते पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 05/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 14

उनवान

नीरज पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

प्रकरण संख्या : 05 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 15

उनवान

पुष्पदयाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

प्रकरण संख्या : 06 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2024 / 177

उनवान

मुकुट बिहारी पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 24 / 2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025 / 73

(रेस्पोडेण्ट

उनवान

मुकट बिहारी पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

बनाम

(अपीलाण्ट)

अति. जिला कलक्टर
कोटा

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट

प्रकरण संख्या : 26/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025/75

उनवान

नीरज पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट

प्रकरण संख्या : 25/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025/74

उनवान

पुष्पदयाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी उमरहेडी तह0 कनवास ,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 28.10.2024 व आदेश दिनांक 28.03.2025
न्यायालय तहसीलदार, कनवास जिला कोटा

संशोधित निर्णय दिनांक : 26/12/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी. पी.सी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपीलो में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5. 12.2025 में लिपिक त्रुटि से राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.3.19984 के स्थान पर 13.3. 2024 टाईप हो गया है तथा उक्त सभी अपीले में न्यायालय द्वारा सभी अपीले आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने के आद अधीनस्थ न्यायालय तह0 कनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2024 व 28.3. 2025 को निरस्त किया जाता है " शब्द का लिखना भी त्रुटिवश ही रह गया है उक्ताअनुसार निर्णय दिनांक 5.12.2025 में संशोधन किया जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2025 में आंशिक

अति. जिला कलक्टर
कोटा

संशोधन किया जाता है। मूल न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.3.2024 के स्थान पर दिनांक 13.3.1984 पढा जावे। इसी प्रकार मूल निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अपीले रिमाण्ड की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व दस्तावेजो की जॉच एवं सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये थे के स्थान पर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2024 व 28.3.2025 को अपास्त कर उक्त अपीले रिमाण्ड की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व दस्तावेजो की जॉच एवं सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये जाते है पढा जावें। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

संशोधित निर्णय निर्णय आज दिनांक 26/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा